विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-12/19

मे0 जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस, — **आवेदक**
प्रोप्रा0 श्रीमती श्वेता भारत अरोरा,
एस.डी.ए. कम्पाउण्ड,
कैलोद हाला, इन्दौर (म0प्र0) – 452003

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (उत्तर) शहर संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 31.07.2020 को पारित)

01. आवेदक मे0 जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस, प्रोप्रा0 श्रीमती श्वेता भारत अरोरा, एस.डी.ए. कम्पाउण्ड, कैलोद हाला, इन्दौर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 24.09.2019 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक W0432019 मे0 जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस, प्रोप्रा0 श्रीमती श्वेता भारत अरोरा विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (उत्तर) शहर संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर में दिनांक 31.07.2019 को पारित आदेश में लिए गए निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जो इस कार्यालय में दिनांक 01.10.2019 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–12/2019 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक के लिखित अभ्यावेदन में प्रकरण के विवरण निम्नानुसार हैं :–

(अ) <u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

(i) यह कि अपीलार्थी/आवेदका द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभिकथित किया गया है, कि उसके स्वर्गीय प्रति श्री भारत अरोरा द्वारा वर्ष 2010 में मैसर्स जेमिनी फुड एण्ड बेवरेजेस, एस.डी.ए. कम्पाउण्ड कैलोद हाला हेतु 60 एचपी/ आयपी कनेक्शन हेतु आवेदन दिया गया था।

(ii) यह कि तत्समय् प्रत्यर्थी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपीलार्थी के प्रति को अवगत कराया गया था कि आवेदित स्थल पर कनेक्शन हेतु विद्युत पोल एवं डी.पी. स्थापित नहीं है । अतः यदि आपके द्वारा स्वयं अपने कार्य से विद्युत पोल एवं डी.पी. स्थापित नहीं है । अतः यदि आपके द्वारा स्वयं अपने व्यय से विद्युत पोल एवं डी.पी. लगवा ली जाती है तो विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया जायेगा एवं कम्पनी को सप्लाय अफोर्डिग की राशि का मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा ।

(iii) यह की अपीलार्थी के पति द्वारा 5 विद्युत पोल एवं डी.पी. की स्थापना लगभग 5 लाख रूपये व्यय कर करवाई गई थी तथा विद्युत वितरण कम्पनी की सप्लाय अफोर्डिंग की राशि का 10 प्रतिशत राशि रू. 11,595/– भी जमा करा दिये गये थे ।

(iv) यह कि प्रत्यर्थी के पत्र क्रमांक 300/सं.य./मलझो/ दिनांक 29.4.2019 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सप्लाय अफोर्डिंग की अन्तर की राशि रू. 1,04,355/– कम जमा करवाई गई है जिसे बिल में जोड़ा गया है ।

(v) यह कि अपीलार्थी द्वारा उसको बताये गये नियमानुसार सम्पूर्ण कार्य, 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि जमा कर स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर एवं बड़ी लाईन की स्थापना कराई गई थी, साथ ही झोन प्रभारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट जिसमें 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस भी मांगे गये थे, अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया गया था । अतः अब 9 वर्षो के उपरांत अपीलार्थी से सम्पूर्ण राशि की मांग की जा रही है जो कि न्यायोचित नहीं है, साथ ही 9 वर्ष व्यतित हो जाने के कारण उपरोक्त मांग समय बाधित भी हो गई है ।

(vi) यह कि अपीलार्थी द्वारा स्थापित विद्युत पोल एवं डी.पी. /ट्रांसफार्मर से विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अन्य कई प्रतिष्ठानों को भी विद्युत संयोजन प्रदान किया जा रहा है एवं इस प्रकार आय का उपार्जन किया जा रहा है । अस्तु उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विद्युत कम्पनी द्वारा आरोपित की गई वसूली राशि रू. 1,04,355/– को अपास्त किये जाने एवं प्रत्यर्थी विद्युत कम्पनी को प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गई ।

(vii) यह कि परिवाद प्रस्तुत होने के पश्चात् माननीय अधीनस्थ फोरम द्वारा प्रत्यर्थी को सूचना पत्र प्रेषित किये गये । उक्त सूचना पत्र प्राप्ति के उपरांत प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 13.6. 2009 को जवाब प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा 2010 में 60 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन दिया गया था जिसमें वसूली का एक्सपेनसेस 2009 के तहत सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि रू. 1,15,990/– जमा किये जाना थे, जबकि अपीलार्थी द्वारा सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज का केवल 10 प्रतिशत ही जमा किया गया था । अतः सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की अंतर राशि रू. 1,04,355/– जमा करने हेतु व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा 2009–14 में वसूली हेतु डिमाण्ड खड़ी की गई थी । जिसकी वसूली हेतु अपीलार्थी के बिल में उक्त राशि जोड़ दी गई थी जिसका भुगतान अपीलार्थी को करना चाहिए था ।

(viii) यह कि प्रत्यर्थी विद्युत कंपनी द्वारा अपने जवाबदावे में यह भी अभिकथित किया गया कि माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा पिछली सुनवाई में निर्देशित किया गया था कि अपीलार्थी मैसर्स जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस, एस.डी.ए. कम्पाउण्ड कैलोद हाला की कनेक्शन फाईल उपलब्ध कराई जाये । इसी तारतम्य में पत्र क्रमांक 383 दिनांक 30.5.2019 को कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) इन्दौर को फाईल उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया था । किन्तु उक्त कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से पुरानी फाईल (2010) का हवाला देते हुए फाईल में असमर्थता जताई किन्तु भार स्वीकृति रजिस्टर में उक्त कनेक्शन की दर्ज की गई जानकारी की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई । चूंकि अपीलार्थी द्वारा औद्योगिक कनेक्शन की मांग की गई थी, अतः सप्लाय अफोर्डिंग की शत–प्रतिशत राशि जमा करना नियमतः उचित है । मल्टी युजर कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल में 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग की राशि जमा कराने का का प्रावधान है । प्रत्यर्थी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि 60 एचपी की सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि रू. 1,15,950/– जमा की जानी थी, किन्तु अपीलार्थी द्वारा रू. 11,595/– की राशि ही जमा की गई है ।

(ix) यह कि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विवेचन के आधार पर माननीय अधीनस्थ फोरम द्वारा दिनांक 31096.2019 को आदेश पारित करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया :–

> ''(1) परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है ।
>
> (2) अभिमत में उल्लेखानुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्यत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के अध्याय 4 की कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार अंकेक्षण टीम द्वारा वर्ष 2009–14 में सप्लाय अफोर्डिंग की जो अंतर राशि की विपक्ष द्वारा मांग की गई, वह परिवादी द्वारा विपक्ष के कार्यालय में जमा की जावे ।

(3) प्रकरण में विपक्ष द्वारा नये संयोजन हेतु औपचारिकताऐं पूर्ण करते समय विधिक प्रावधान की कंडिका 4.2.2सी के अनुसार सम्पूर्ण देय सप्लाय अफोर्डिंग राशि जमा करवाई जाना चाहिये थी लेकिन विपक्ष ने 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग राशि ही जमा कराते हुए परिवादी को भ्रमित किया एवं नियमों का पालन नहीं किया । इस संबंध में प्रचलित म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं नियमों का उल्लंघन न करने हेतु मैदानी अधिकारियों को उचित दिशा–निर्देश जारी किया जावे ।''

(x) यह कि माननीय अधीनस्थ फोरम द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/ परिवादी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य को पूर्णतः अनदेखा करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, अस्तु अपीलार्थी द्वारा निम्न आधारों पर यह अपील इस माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :–

(ब) **अपील के आधार**

i) यह कि माननीय अधीनस्थ फोरम, इन्दौर व उज्जैन क्षेत्र, इन्दौर द्वारा पारित आदेश अनुचित, अवैधानिक, तथ्यों के विपरीत तथा बिना बिना वैधानिक प्रक्रिया का परिपालन किये जाने से निरस्त होने योग्य है ।

ii) यह कि माननीय अधीनस्थ फोरम, इन्दौर व उज्जैन क्षेत्र इन्दौर द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा लगभग रू. 5 लाख का व्यय किया गया है, जबकि ट्रांसफार्मर एवं 11 के.व्ही लाईन विस्तार का कार्य प्रत्यर्थी द्वारा नार्मल/न्यू डव्हलपमेंट योजना अंतर्गत किया जाना था । इसके अलावा माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अगर कोई उपभोक्ता 5 प्रतिशत सुपरविजन में विद्युतीकरण का कार्य करता है तो उससे 10 प्रतिशत सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की राशि ली जाना चाहिए, किन्तु माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा इस तथ्य की उपेक्षा की गयी है कि प्रत्यर्थी द्वारा 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि लेकर अपीलार्थी से रू. 5 लाख का व्यय करवाया गया है जिस हेतु अपीलार्थी को किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता एवं इस हेतु प्रत्यर्थी स्वयं उत्तरदायी है । परन्तु उनके विरूद्ध कोई शास्ति अथवा दायिता निर्धारित नहीं करते हुए मात्र अपीलार्थी पर राशि रू. 1,04,353/– की वसूली आरोपित कर दी गई है जो प्राकतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अस्तु उपरोक्त आधारों पर माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

iii) यह कि माननीय अधीनस्थ फोरम, इन्दौर व उज्जैन क्षेत्र, इन्दौर द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विधुत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के अध्याय 4 की कण्डिका 4.2.2सी के अंतर्गत अपीलार्थी को मान्य नहीं करने की विधिक चूक की गई है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है जिसका कोई प्रतिवाद प्रत्यर्थी विद्युत वितरण कंपनी

द्वारा नहीं किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर जो विद्युतीकरण का कार्य करवाया गया था उसी लाईन/ संयोजन से प्रत्यर्थी द्वारा अन्य व्यक्तियों/संस्थानों को संयोजन प्रदान कर आय अर्जित की जा रही है । अतः सप्लाई अफोर्डिंग राशि की वसूली भी ऐसे समस्त संयोजन उपभोक्ताओं से मानुपातिक रूप से वसूली जानी चाहिए, परन्तु माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा सम्पूर्ण राशि की वसूली अपीलार्थी पर आरोपित कर दी गई है जो कि अनुचित है ।

iv) यह कि माननीय अधीनस्थ फोरम, इन्दौर व उज्जैन क्षेत्र, इन्दौर द्वारा अपने आदेश के बिन्दु क्रमांक 3 में स्वयं उल्लेखित किया गया है कि ''प्रकरण में विपक्ष द्वारा नये संयोजन हेतु औपचारिकतायें पूर्ण करते समय विधिक प्रावधान की कंडिका 4.2.2सी के अनुसार सम्पूर्ण देय सप्लाय आफोर्डिंग राशि जमा करवाई जाना चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग राशि ही जमा कराते हुए परिवादी को भ्रमित किया एवं नियमों का पालन ही नहीं किया ।'' उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा भ्रमित किया जाना एवं नियमों का पालन नहीं किया जाना माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा मान्य किया गया है, परन्तु उनके द्वारा कारित त्रुटि का भुगतान करने के आदेश अपीलार्थी को दिये गये हैं । अस्तु उक्त आधार पर माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

v) यह माननीय अधीनस्थ फोरम, इन्दौर व उज्जैन क्षेत्र, इन्दौर द्वारा अपीलार्थी को भ्रमित करने संबंधी तथय मान्य किया गया है, परन्तु इस प्रकार भ्रमित किया जाकर अपीलार्थी से लिखित सहमति प्राप्त कर रू. 5 लाख व्यय करवाने के प्रश्न पर माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा कोई निर्णय प्रदान नहीं करते हुए विधिक चूक की गई है । अस्तु उक्त आधार पर माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

vi) यह कि माननीय अधीनस्थ फोरम, इन्दौर व उज्जैन क्षेत्र, इन्दौर द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस तथ्य का भी घ्यान नहीं रखा गया है कि अपीलार्थी पर आरोपित की गई वसूली 9 वर्ष की अवधि बीत जाने पर कालबधित हो गई है, अस्तु उक्त आधार पर माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

vii) यह कि अपीलार्थी/ परिवादी द्वारा अन्य तर्क वक्त बहस के दौरान प्रस्तत किये जाऐंगे तथा भविष्य में अन्य दस्तावेज उपलब्ध होने पर उन्हें माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(स) <u>प्रार्थना</u>

अतः माननीय आयोग से प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित तथयों एवं आधारों के परिपेक्ष्य में माननीय अधीनस्थ फोरम, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2019 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/परिवादी को परिवाद पत्र व तत्पचात् प्रस्तुत अतिरिक्त कथन के प्रार्थना चरण

में चाहा गया अनुतोष तथा इस अपील प्रस्तुत करने का वाद व्यय एवं अन्य उचित आदेश जो माननीय महोदय यथोचित एवं न्यायिक समझेंए अपीलार्थी/परिवादी के पक्ष में तथा प्रत्यर्थी विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध पारित किये जाने के आदेश पारित किये जायें ।

03. आवेदक ने फोरम में प्रस्तुत अपनी मूल शिकायत में केवल अनावेदक द्वारा आवेदक के बिल में जोड़ी गई विद्युत उपलब्धता प्रभार के अन्तर की राशि को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अन्तर्गत कालबाधिक बताते हुए इसको निरस्त करने की मांग की थी । बाद में फोरम में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लिखित कथन किया कि उन्हें गुमराह कर गलत जानकारी देकर वर्ष 2010 में नवीन निम्नदाब औद्योगिक 11 के0व्ही0 लाईन एवं 63 के0व्ही0ए0 वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र निर्माण के अधोसंरचना कार्य की 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क भुगतान योजना में आवेदक के स्वयं के व्यय पर संपादित करवाया गया जो कि प्रचलित नियम अनुसार अनावेदक द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए था । अतः इस कार्य की लागत, में जो अनावेदक को स्वयं वहन की जानी थी, से विद्युत उपलब्धता प्रभार के अन्तर की राशि समयोजित किए जाने तथा शेष राशि अनावेदक से वापस दिलाने की मांग की । फोरम द्वारा आवेदक के इस अतिरिक्त लिखित कथन का संज्ञान लेते हुए सुनवाई में इस पर अनावेदक को सुना भी गया तथा दिनांक 31.07.2019 को पारित अपने आदेश में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख भी किया किन्तु आश्चर्यजनक रूप से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है । अतः आवेदक की अपील के दोनों बिंदु अर्थात् विद्युत उपलब्धता प्रभार के अन्तर की राशि निरस्त किए जाने तथा कथित रूप से नियम विरूद्ध आवेदक से करवाए गए विद्युत प्रणाली में अधोसंरचना कार्य की लाबत अनावेदक से वापस दिलवाए जाने, सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाना विधि अनुसार उचित पाया गया तथा इन दोनों बिन्दुओं पर विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई ।

04. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 15.10.2019 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए परन्तु सुनवाई दिनांक 15.10.2019 को तत्कालिक कारणों से आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई दिनांक 23.10.2019 को नियत की गई जिसमें आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री विकास राय उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक प्रतिनिधि श्री अमित कश्यप, जूनियर इंजीनियर महालक्ष्मी झोन उपस्थित हुए ।

अनावेदक की ओर से प्रकरण में अपना लिखित जवाब दिनांक 14.10.2019 से निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :–

> महालक्ष्मी झोन के अंतर्गत उपभोक्ता मे0 जेमिनी फूड एंड बेवरेजेस प्रो0 श्रीमती श्वेता अरोरा का पत्र दिनांक 27.06.2019 का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया गया कि उपभोक्ता ने 60 हार्स पॉवर औद्योगिक कनेक्शन हेतु समस्त विद्युतीकरण का कार्य स्वयं

के व्यय पर किया है जिस हेतु उपभोक्ता ने सहमति भी प्रदान की थी । उक्त कार्य में 11 के0व्ही0 लाईन 0.160 किमी एवं 63 केवीए 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर 1 नं0 सम्मिलित है जिसका कुल व्यय 4,14,530/– रू0 था इसकी सुपरविजन राशि (5 प्रतिशत) 19,973/– रू0 उपभोक्ता ने जमा की थी एवं समस्त कार्य ''अ'' श्रेणी विद्युत ठेकेदार श्री मनीष बासाणी, लाईसेंस क्र0 23/2 द्वारा संपादित किया गया, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट प्रति आवेदन के साथ संलग्न पाई गई ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009** के क्लॉज नं0 4.2.2 (ए) में उल्लेख है कि – रिकवरी का एक्सपेनसेस 2009 के नियमानुसार उपभोक्ता से सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की 1,15,950/– रू0 जमा कराया जाना था, किन्तु उक्त राशि की मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा कराई गई । सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की अन्तर राशि 1,04,355/– रू0 जमा कराने हेतु व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा 2009–14 से वसूली हेतु निकाली गई थी जो कि पूर्णतः नियमानुसार है । प्रचलित नियमानुसार रिकवरी का एक्सपेनसेस 2009, 4.2.2. C के अनुसार सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज जो कि उपभोक्ता से लिया जाना चाहिए था, वह 1,15,950/– है । ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि अगर कोई उपभोक्ता 5 प्रतिशत सुपरविजन में विद्युतीकरण का कार्य करता है तो उसे 10 प्रतिशत सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की राशि ली जानी चाहिए । नियम क्र0 4.2.2. C के अनुसार जहां बहुमंजिला भवन या शॉपिंग मॉल हो एवं जिनमें एक से अधिक कनेक्शन हो और कुल भार 50 किलो वॉट या उससे अधिक हो (भार का आकलन प्लाट/दुकान की साइज) के अनुसार ली जाती है और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज का 10 प्रतिशत लिया जाता है । चूंकि आवेदक उपरोक्त श्रेणी में नहीं आता है (60HP/IP) अतः उपभोक्ता से सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की पूर्ण राशि नियम क्र0 4.2.2. C के अनुसार वसूलना उचित रहेगा ।

05. सुनवाई दिनांक 13.11.2019 एवं 25.11.2019 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री विकास राय उपस्थित किन्तु अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

06. सुनवाई दिनांक 17.12.2019 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री विकास राय उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री अमित कश्यप, जूनियर इंजीनियर उपस्थित ।

आवेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी के स्व0 पति श्री भरत अरोरा द्वारा वर्ष 2010 में मे0 जैमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस हेतु 60 एच.पी./आई.पी. कनैक्शन हेतु आवेदन दिया ।

तत्समय आवेदित स्थल पर कनैक्शन हेतु विद्युत पोल एवं डी0पी0 स्थापित नहीं थी, उस समय प्रत्यार्थी अनावेदक ने उनसे कहा कि यदि आप अपने व्यय पर विद्युत पोल एवं डी0पी0 लगवाएंगे व कम्पनी को सप्लाई अफोर्डिंग का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करेंगे तो आपको कनैक्शन दिया जाएगा । इस पर अपीलार्थी के पति ने कुल राशि 4,14530/– व उसका सुपरविजन राशि 5 प्रतिशत के हिसाब से 19,973/– का भुगतान किया और विद्युत कनैक्शन प्राप्त किया जो कि अनावेदक ने नियमों के विरूद्ध अपीलार्थी के पति से उक्त राशि जमा कराई गई थी । इसके पश्चात् विधि विरूद्ध तरीके से वर्ष 2009 से 2014 के आडिट के आधार पर पुनः 29.04.2019 को सप्लाई अफोर्डिंग की अन्तर राशि 1,04,355/– की विधि विरूद्ध मांग की गई । उक्त राशि की मांग लगभग 9 वर्ष के पश्चात् की गई जो कि विद्युत अधिनियम के प्रावधान धारा 56(2) के विपरीत की जा रही है । तत्पश्चात् आवेदक ने एक प्रकरण जिला फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना चरण में सहायता चाही कि पूर्व में आवेदक के पति द्वारा व्यय की गई राशि 4,14,530/– वापस कराई जाए तथा वर्ष 2019 में विधि विरूद्ध मांग की गई राशि 1,04,355/– की वसूली यदि विधि सम्मत हो तो उक्त वसूली राशि का कटौत्रा राशि रू0 4,14530/– में से कर लिया जाए । अधीनस्थ फोरम ने अपने विरोधित आदेश के पृष्ठ क्रमांक – 8 व पृष्ठ क्रमांक – 9 में यह जो निष्कर्ष निकाला कि विपक्षीय द्वारा नए संयोजन की औपचारिकताएं पूर्ण करते परिवादी को परिभ्रमित किया गया है तथा नियमों का पालन नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ फोरम ने अपीलार्थी को जमा राशि वापस दिए जाने के आदेश पारित नहीं किए ।

माननीय द्वारा भी प्रत्यार्थी का यह निर्देश दिए गए कि किन नियमों के तहत नए कनैक्शन देते समय अपीलार्थी के पति द्वारा राशि रू0 4,14530/– व उसका सुपरविजन राशि 5 प्रतिशत के हिसाब से 19,973/– का भुगतान जमा कराया गया था । माननीय महोदय के समक्ष उक्त नियमों की जानकारी आज दिनांक तक 3 पेशी व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रदाय नहीं की जा रही है और न ही अनावेदक की ओर से बार–बार सूचना देने के बाद भी कोई उपस्थित हो रहा है । अतः अधीनस्थ फोरम के समक्ष प्रार्थना चरण में चाही गई जानकारी, चाही गई सहायता, माननीय अधीनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत अतिरिक्त कथन दिनांक 27.06.2019 की प्रार्थना चरण में चाही गई सहायता माननीय महोदय दिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें ।

अनावेदक प्रतिनिधि श्री अमित कश्यप, जूनियर इंजीनियर की ओर से अधीक्षण यंत्री (सं/सं) इन्दौर के भार स्वीकृति पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 10156 दिनांक 03.03.2010, स्वीकृत प्राक्कलन क्रमांक 76–000–4242–09–0345 दिनांक 08.03.2010, सहायक यंत्री को स्वीकृत प्राक्कलन प्रेषित करने कार्यपालन यंत्री (सं/सं) इन्दौर का पत्र क्रमांक 9734 दिनांक 17.03.2010,

अधीक्षण यंत्री (सं/सं) इन्दौर द्वारा प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रेषित करने पत्र क्रमांक 10336 दिनांक 12.03.2010, कार्यपालन यंत्री (सं/सं), इन्दौर द्वारा क्रमांक 10088 दिनांक 29.03.2010 से जारी वर्क आर्डर क्रमांक 194/26.03.2010, आवेदक द्वारा भुगतान के लिए मांग पत्र दिनांक 09.03.2010, ''Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations (Revision-I) 2009 तथा लाईन विस्तार कार्य का 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज जमा करने का आवेदक का सहमति पत्र दिनांक – निरंक की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए सहायक अभियंता, महालक्ष्मी जोन, म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0लि0 इन्दौर के पत्र क्रमांक 952 दिनांक 16.12.2019 से लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया ।

इस पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) अधीक्षण यंत्री का भार स्वीकृति पत्र दिनांक 03.03.2010 एक अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से बनाया गया है :–

(a) लागू नियमों, जिनके अन्तर्गत भार स्वीकृति प्रदान की गई, का संदर्भ नहीं दिया गया है ।

(b) आवेदक द्वारा देय 'विद्युत उपलब्धता प्रभार' की राशि नहीं दर्शाई गई हैं ।

(c) आवेदक द्वारा 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर नए 63 के0व्ही0ए0 वितरण ट्रांसफार्मर लगाने के बाद स्वीकृत भार प्रदान किया जाना निर्देशित है, किन्तु उच्चदाब (11 के0व्ही0) लाईन विस्तार कार्य के विवरण एवं यह कार्य भी आवेदक से उसके व्यय पर कराए जाने संबंधी कोई उल्लेख/निर्देश नहीं हैं ।

(d) आवेदक को म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित 'Schedule of Misc & General Charges' के अनुसार प्रभारों का भुगतान करने संबंधी निर्देश में इन प्रभारों के विवरण तथा 'Schedule of Misc & General Charges' के लिए माननीय विद्युत नियामक आयोग के संबंधित विनियम का संदर्भ नहीं दिया गया है ।

(ii) मांग पत्र में Supply Affording Charges की राशि मूलतः 1,15,950.00 थी जिसको सहायक यंत्री, मांगलिया द्वारा अपनी हस्तलिखित टीप ''Taken charges 4.2 + 04.2.1 But will applied 4.2.3 under 5% Supervision Charges" देते हुए संशोधित कर 11595.00 किया गया है ।

07. सुनवाई दिनांक 17.12.2019 को अनावेदक कार्यपालन यंत्री (उत्तर) शहर संभाग इंदौर की अनुपस्थिति तथा 17.01.2020 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति से अगली सुनवाई दिनांक 28.01.2020 नियत की गई ।

08. सुनवाई दिनांक 28.01.2020 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नही, अनावेदक की ओर से श्री भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (उत्तर) शहर संभाग और श्री अमित कश्यप, जूनियर इंजीनियर (उत्तर शहर संभाग), इन्दौर उपस्थित । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (उत्तर शहर संभाग), इन्दौर द्वारा कथन किया गया कि मेसर्स जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस ने नवीन कनेक्शन लेते समय कनेक्शन देने में 11 के.व्ही. लाईन विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना संबंधी अधोसंरचना कार्य 5 प्रतिशत शुल्क का भुगतान कर उनके द्वारा करवाए जाने का विकल्प चुना था। तद्नुसार उनके द्वारा 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क के भुगतान के विकल्प का चयन कर कार्य करवाया गया। मेसर्स जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस एक सिंगल यूजर कनेक्शन की श्रेणी में थे और विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में नियत प्रावधानों के अन्तर्गत लागू उपलब्धता प्रभारों के पूर्ण भुगतान का दायित्व आवेदक पर था, किन्तु कनैक्शन प्रदान करते समय उनसे मल्टीयूजर काम्पलेक्स श्रेणी के अन्तर्गत केवल 10 प्रतिशत विद्युत उपलब्धता प्रभार का भुगतान ही प्राप्त किया गया था, जिस पर बाद में आडिट द्वारा आपत्ति उठाकर नियमानुसार देय उपलब्धता प्रभार की बकाया 90 प्रतिशत राशि की वसूली हेतु निर्देशित किया गया । अतः 90 प्रतिशत राशि की वसूली, आडिट द्वारा उठाई गई आपत्ति तथा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के संबंधित नियमों के अनुसार न्यायोचित होकर आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है।

कनेक्शन हेतु प्रस्तावित अधोसंरचना कार्य आवेदक द्वारा स्वयं अपने व्यय पर संपादित किए जाने की लिखित सहमति दिए जाने के संबंध में श्री भूपेन्द्र सिंह का कथन है कि शायद उस समय आवेदक को तत्काल कनेक्शन की आवश्यकता रही होगी इस कारण आवेदक ने प्रस्तावित कार्य अपने खर्च पर करने का विकल्प चुना होगा । इस संबंध में आवेदक को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं किया गया जो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने नियमों की जानकारी होने पर ही उपरोक्त प्रस्तावित कार्य 5 प्रतिशत सुपरविजन में करने हेतु सहमति दी थी ।

आवेदक द्वारा कथित रूप से स्वयं के व्यय पर कार्य कराए जाने का विकल्प चुने जाने संबंधी नियमों को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अनावेदक कथन कर स्वीकार करता है कि ऐसा कोई नियत तत्समय नहीं था जो आवेदक को यह विकल्प प्रदान करता हो तथा लागू नियमों के अन्तर्गत इस कार्य को किए जाने की संपूर्ण जिम्मेंदारी अनावेदक की ही थी ।

उपरोक्त मौखिक कथन के साथ श्री भूपेन्द्रसिंह द्वारा 16.01.2020 दिनांकित लिखित प्रस्तुतीकरण भी किया जिसमें निम्नानुसार सूचित है कि –

''प्रार्थी ने तत्कालीन कार्यालय सहायक यंत्री, मांगलीय वितरण केन्द्र (वर्तमान में महालक्ष्मी झोन) में दिनांक 09.03.2010 को नवीन 60 एच0पी0 औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन किया था । क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन देने हेतु निम्न दाब लाईन उपलब्ध नहीं होने से नवीन 63 के0व्ही0ए0 11/0.4 के0व्ही0 ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 0.160 किलो मीटर 11 के0व्ही0 लाईन विस्तार कार्य किए जाने की आवश्यकता थी जिसकी कुल लागत रू0 04,14,530/– प्रस्तावित थी ।

चूंकि आवेदक परिसर में एक ही कनेक्शन मांग रहा था इस कारण निमयानुसार उक्त प्रस्तावित अधोसंरचना का कार्य विभागीय तौर पर ही किया जाना था तथा आवेदक को नियमानुसार फुल सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस रू0 1,15,950/– का भुगतान करना था परन्तु शायद उस समय आवेदक को तत्काल कनेक्शन की आवश्यकता रही होगी इस कारण आवेदक ने उक्त प्रस्तावित कार्य को अपने खर्च पर करने हेतु लिखित में सहमति दी गई थी जिसके आधार पर उक्त प्रस्तावित कार्य 5 प्रतिशत सुपरविजन योजना में आवेदक ने अपने खर्च पर एक क्लास ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण किया गया था । तत्कालीन कार्यालय प्रभारी द्वारा आवेदक ने अपने खर्च पर अधोसंरचना कार्य करने पर आवेदक से कनेक्शन हेतु सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस बहु उपभोक्ता परिसर के अनुसार माननीय नियामक आयोग के रिकवरी आफ एक्सपेंसेस नोटिफिकेशन दिनांक 07.09.2009 की कण्डिका 4.2.3–सी के अनुसार रू0 11,595/– वसूल किए गए थे जो कि सामान्य परिस्थिति में भुगतान योग्य राशि रू0 1,15,950/– का 10 प्रतिशत है ।

व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा उक्त कनेक्शन के फाईल की जांच करने पर सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस को सामान्य कनेक्शन के अनुसार मानते हुए अंतर राशि रू0 104355/– पैरा क्रमांक 2009–14 के माध्यम से वसूली हेतु निकाली गई थी क्योंकि उनके अनुसार कनेक्शन के लिए प्रस्तावित अधोसंरचना का कार्य विभागीय तौर पर ही किया जाना था ।

व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा उपरोक्तानुसार रू0 104355/– की वसूली निकाली जाने पर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत किया गया था, परन्तु व्यय अंकेक्षण विभाग द्वारा आवेदक के परिसर को बहु उपभोक्ता परिसर नहीं मानते हुए उक्त राशि की वसूली हेतु कहा गया था ।

कनेक्शन हेतु प्रस्तावित अधोसंरचना का कार्य अपने खर्च पर करने हेतु आवेदक को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं किया गया यह इससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने नियमों की जानकारी होने पर ही उपरोक्त प्रस्तावित कार्य 5 प्रतिशत सुपरविजन में करने हेतु लिखित में सहमति दी गई थी।''

09. <u>प्रकरण की विवेचना :</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/तर्कों एवं साक्ष्यों का विधिक प्रावधान एवं लागू नियमों के प्रकाश में प्रकरण की निम्नानुसार विवेचना की गई ।

फोरम के आदेश दिनांक 31.07.2019 तथा आवेदक की प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रकरण में निम्न दो विचारणीय बिन्दु हैं :–

(अ) क्या वर्ष 2010 में 60 अश्वशक्ति के निम्नदाब नवीन औद्योगिक कनेक्शन प्राप्त करते समय आवेदक द्वारा तत्समय लागू नियमों के अनुसार विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार की मद में देय आवश्यक राशि से कम भुगतान किया गया था ? यदि हां तो क्या तत्समय कम भुगतान की गई विद्युत उपलब्धता प्रभार की राशि का अब भुगतान करने के लिए बाध्य है ।

(ब) क्या आवेदक को वर्ष 2010 में नवीन निम्नदाब औद्योगिक कनेक्शन दिए जाने में अनावेदक ने आवश्यक अधोसंरचना के कार्य यथा उच्चदाब (11 के0व्ही0) लाईन का विस्तार तथा 63 के0व्ही0ए0 क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना, तत्समय लागू नियमों के विरूद्ध जाकर आवेदक से उसके स्वयं के व्यय पर संपादित करवाए गए थे ? यदि हां, तो क्या आवेदक इनक कार्यों की लागत का भुगतान अनावेदक से प्राप्त करने का अधिकारी है और अनावेदक यह भुगतान करने के लिए बाध्य हैं ?

<u>बिन्दुवार विवेचना :</u>

<u>बिन्दु – (अ)</u> इस बिन्दु की विवेचना में सर्वप्रथम, ''Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) Regulations (Revision-I) 2009 के खण्ड IV के Part (B) - For Other LT Consumer के Part (a) Non-Domestic, (including Shopping Mall/Complex), Industrial and other LT consumers not covered elsewhere की कण्डिका 4.2.2 एवं 4.2.3 का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार उद्धृत है:–

<u>Chapter IV</u>

(B) For other LT Consumer :

4.2.2 <u>(a) For providing power supply to an individual Non-Domestic or Industrial consumer or other LT consumer not covered elsewhere, the required LT lines/cables up to the Distribution Mains of the consumer</u>

shall be laid at the cost of the consumer. The Distribution Licensee shall arrange to install Distribution Transformer Sub-station and HT line at its own cost.

(b) The consumer shall bear the expenses for providing the Service Line. The consumer shall have the option either to lay the required LT line or Service Line on his own through a licensed contractor as per specifications of the Licensee by paying Supervision charges @ 5% of the cost of work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates or get the work executed by the Licensee after paying the applicable expenses..

(c) The Distribution Licensee shall also be entitled to recover the following charges from an individual Non-Domestic, Industrial consumer and other LT consumers not covered elsewhere as Supply Affording Charges in addition to applicable charges and Infrastructure cost mentioned in Regulation 4.2.2 (a):

Sl. No.	Requisitioned Load	Supply Affording Charges including supervision charges on cost of Service Line (excluding cost of Application Form, Agreement Fee and Security Deposit) recoverable from consumers
i.	Upto 3 kW (single phase)	Rs. 300 per kW or part thereof
ii.	Above 3 KW (Three phase) but not exceeding 10 KW	Rs. 900 + Rs. 900 per addl. kW or part thereof by which the load exceeds 3 kW
iii.	Above 10 KW but not exceeding 25 KW	Rs. 7,200 + Rs. 2,250 per addl. kW or part thereof by which the load exceeds 10 kW
iv.	Above 25 KW	Rs. 40,950 + Rs. 3,750 per addl. kW or part thereof by which the load exceeds 25 kW

4.2.3 (a) For providing power supply to Non-Domestic Multi-user complexes/Shopping Mall, the Applicant(s) shall bear the cost of incoming HT line to Distribution Transformer Sub-station(s), Distribution Transformer Substation(s) and LT lines/cables up to the Distribution Mains of the consumer.

The consumer shall have the option either to create the required Infrastructure on his own through a licensed contractor as per Specifications of the Licensee by paying Supervision charges @ 5% of the cost of work estimated by the Licensee as per Current Schedule of Rates or get the work executed through the Licensee after paying the applicable expenses.

(b) (i) If combined load of the Complex/Shopping Mall is not more than 2000 kW, charges @ Rs. 500 per kW shall be levied towards System Development Cost.

(ii) If combined load of the Complex/Shopping Mall is more than 2000 kW, the Applicant(s) is(are) required to pay charges for installation of 33/11kV Sub-station of required capacity towards System Development .

(c) The Distribution Licensee shall also be entitled to recover the following charges from Non-Domestic (Multi-user Complex/Shopping Mall) consumers towards Supply Affording Charges in addition to applicable charges and infrastructure cost mentioned in Regulation 4.2.3(a) and (b).

Sl. No.	**Requisitioned Load**	**Supply Affording Charges including supervision charges on cost of Service Line (excluding cost of Application Form, Agreement Fee and Security Deposit) recoverable from consumers**
i.	Upto 3 kW (single phase)	Rs. 30 per kW or part thereof
ii.	Above 3 KW (Three phase) but not exceeding 10 KW	Rs. 90 + Rs. 90 per addl. kW or part thereof by which the load exceeds 3 kW
iii.	Above 10 KW but not exceeding 25 KW	Rs. 720 + Rs. 225 per addl. kW or part thereof by which the load exceeds 10 kW
iv.	Above 25 KW	Rs. 4095 + Rs. 375 per addl. kW or part thereof by which the load exceeds 25 kW

चूंकि आवेदित औद्योगिक कनेक्शन एकल परिसर (individual) की श्रेणी में था, अतः उस पर उक्त कण्डिका 4.2.2 के प्रावधान लागू होते हैं । इस कण्डिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि

60 अश्व शक्ति 44.76 कि0वा0 का नवीन औद्योगिक कनेक्शन देने के लिए अनावेदक आवेदक से उक्त तालिका के सरल क्र0 (iv) के अनुसार विद्युत उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) वसूलने का अधिकारी था । सरल क्र0 (iv) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार यह राशि 1,15,950/– होती है अर्थात् अनावेदक आवेदन से विद्युत उपलब्धता प्रभार की मद में 1,15,950/– रूपए की राशि वसूलने का अधिकारी था और इसको वसूलने की जिम्मेदारी भी अनावेदक की थी । किन्तु सुनवाई दिनांक 17.12.2019 में अनावेदक द्वारा आवेदक को दिए गए मांग–पत्र दिनांक 04.02.2010 की प्रस्तुत की गई छायाप्रति से ज्ञात होता है कि अनावेदक के स्वयं की ओर से उक्त राशि के स्थान पर इसकी 10 प्रतिशत राशि अर्थात् 11595/– रू0 के विद्युत उपलब्धता प्रभार की मांग आवेदक उपभोक्ता से की गई थी ।

उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि चूंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) ने अपने भार स्वीकृति पत्र दिनांक 03.03.2010 में लागू विनियमों, जिनके अंतर्गत भार स्वीकृति प्रदान की गई, तथा आवेदक द्वारा देय विद्युत उपलब्धता प्रभारों का विवरण नहीं दिया था, जैसा इस आदेश के क्र0 7 के चतुर्थ पैरा में दर्शाया गया है, अतः अधीनस्थ अधिकारियों ने प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों की आवेदक से 5 प्रतिशत सुपरविजन में कराए जाने संबंधी इस पत्र में निहित निर्देश से भ्रमित होकर विनियम की कण्डिका 4.2.3 में विनिर्दिष्ट विद्युत उपलब्धता प्रभारों, जो वास्तव में शॉपिंग माल/मल्टी युजर काम्पलेक्स के गैर घरेलु कनेक्शनों पर लागू है और जो प्रकरण पर लागू 4.2.2 में विनिर्दिष्ट विद्युत उपलब्धता प्रभारों का केवल 10 प्रतिशत है, के आधार पर आवेदक को मांग पत्र जारी किया क्योंकि 4.2.3 में ही आवेदक के व्यय पर प्रस्तावित अधोसंरचना कार्य संपादन का प्रावधान है जबकि 4.2.2 में इन कार्यों के संपादन की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को स्वयं के व्यय पर किया जाना प्रावधानित है । माननीय आयोग द्वारा स्पष्ट प्रावधान किए जाने के बाद भी गलत/कम राशि का मांग पत्र आवेदक को दिया जाना अनावेदक की लापरवाही और लागू नियमों के प्रति उनकी अनभिज्ञता का द्योतक है ।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि नियमानुसार विद्युत उपलब्धता प्रभार की कुल देय राशि 1,15,950/– रू0 के विरूद्ध आवेदक से केवल 11595/– रू0 की राशि ही वसूल किए जाने से इस मद में 1,04,355/– रू0 की राशि कम वसूल की गई थी । इस त्रुटि को व्यय अंकेक्षण टीम ने वर्ष 2009–2014 के आडिट के दौरान निकाला और तद्नुसार आवेदक से भुगतान के लिए अनावेदक ने इस राशि को आवेदक के मासिक बिल में जोड़कर आवेदक को सूचित किया। अनावेदक की यह कार्यवाही विधि अनुरूप होकर स्वीकार योग्य पाई जाती है ।

आवेदक ने अपनी अपील में मांग की है कि विद्युत उपलब्धता प्रभार की कम वसूल की गई 1,04,355/– रू0 की राशि की मांग 2010 में कनेक्शन प्रदान करने के पश्चात् लगभग 9 वर्ष बाद 2019 में की गई है अतः यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अन्तर्गत कालबाधित हो चुकी है और निरस्त किए जाने योग्य हैं । इसकी विवेचना के संबंध में धारा – 56 का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार उद्धृत है :–

> **"56. Disconnection of supply in default of payment. -** (1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving not less than fifteen clear day's notice in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer:
>
> Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such persons deposits, under protest,-
>
> (a) an amount equal to the sum claimed from him, or
>
> (b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months,
>
> Whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licenses.
>
> (2) Notwithstanding anything contained an any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity. "

उक्त धारा 56 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसकी उपधारा 56 (1) अनुज्ञप्तिधारी को अपने वसूली योग्य राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर विद्युत उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विद्युत प्रदाय बंद किए जाने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु इसके साथ ही उपधारा 56 (2) अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिभार के प्रयोग से उस स्थिति में वंचित करता है जबकि वसूली योग्य रकम में तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है, 2 वर्ष की कालावधि के पश्चात् वसूली किए जाने योग्य नहीं होगी । जब तक ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेंज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो । इस उपधारा में रकम की वसूली कालबाधित होने संबंधी प्रस्तुत परिदृश्य के विस्तार एवं प्रभाव क्षैत्र (Sphere of influence) की मर्यादा केवल धारा 56 के प्रावधान अर्थात् ''भुगतान न करने पर विद्युत प्रदाय का विच्छेदन'' तक ही सीमित रखी गई है । अर्थात् धारा 56(2) में राशि कालबाधित होने पर केवल अनुज्ञप्तिधारी को धारा 56(1) में राशि की वसूली हेतु उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने का प्रदत्त अधिकार कालबाधित होता है, किन्तु यह राशि या इस राशि की वसूली अन्य उपलब्ध विधि विकल्पों के अन्तर्गत कालबाधित नहीं होती है।

प्रकरण में आवेदक उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपलब्धता प्रभारों के अन्तर की 1,04,355/– रू0 की राशि अनावेदक के सहायक यंत्री के पत्र क्र0 300 दिनांक 29.04.2010 से प्रथम बार देय हुई है और चूंकि प्रथम बार देय होने के बाद से अपील प्रस्तुत किए जाने तक दो वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई अतः इस राशि का धारा 56 (2) में कालबाधित होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बिन्दु (अ) की उक्तानुसार की गई विवेचना से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विद्युत उपलब्धता प्रभार के अन्तर की 1,04,355/–रू0 की राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अन्तर्गत कालबाधित होकर वसूली योग्य नहीं होने संबंधी आवेदक की मांग स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है और आवेदक की मांग अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा ।

<u>बिन्दु – (ब)</u>

आवेदक ने अपनी अपील में फोरम को प्रस्तुत मूल परिवाद पत्र व तत्पश्चात् प्रस्तुत अतिरिक्त कथन के प्रार्थना चरण में चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी के पक्ष में पारित किए जाने की प्रार्थना की है । इस संबंध में फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2019 में दर्ज **'फोरम का अवलोकन एवं अभिमत'** का अवलोकन किया गया, जिसमें उल्लेख है कि ''परिवादी ने यह भी कथन किया है कि ट्रांसफार्मर एवं 11 के0व्ही0 लाईन विस्तार का कार्य विपक्ष द्वारा नार्मल डेवलपमेंट योजना अन्तर्गत किया जाना था । अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में माननीय फोरम

से विनम्र प्रार्थना है कि प्रतिवादी विद्युत कंपनी से आवेदिका द्वारा व्यय किए गए रू0 4,14,350/– वापस दिलवाए जावें एवं अंकेक्षण टीप के परिप्रेक्ष्य में यदि राशि 1,04,355/– की वसूली की जाना हो तो उस राशि का कटौत्रा आवेदिका को भुगतान की जाने वाली राशि रू0 4,14,530/– में से कर लिया जाए ।''

अनावेदक का तर्क है कि आवेदक ने कनेक्शन के लिए प्रस्तावित उच्चदाब लाईन निर्माण तथा वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना संबंधी अधोसंरचना कार्य 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज का भुगतान कर स्वयं के व्यय पर करने की लिखित सहमति दी थी तथा इसके समर्थन में आवेदक द्वारा दी गई सहमति की छायाप्रति प्रस्तुत की गई । इसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह सहमति एक पूर्व निश्चित टंकित प्रारूप पर दी गई है जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित भार इत्यादि विवरण हस्तलिखित रूप से दर्ज है और नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हैं । इससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अनावेदक ने ही सहमति पत्र का प्रारूप आवेदक को देकर उसकी सहमति प्राप्त की, क्योंकि यदि यह आवेदक द्वारा स्वयं तैयार किया गया होता तो या तो पूरा पत्र टंकित होता या हस्तलिखित होता तथा इसमें स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों/कारणों का उल्लेख होता जिनके आधार पर अनावेदक के व्यय पर संपादित किए जाने वाले प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों का व्यय स्वयं वहन कर इन कार्यों को अपने स्तर पर संपादित किए जाने के लिए सहमत हुआ। स्पष्टतः अनावेदक द्वारा निश्चित रूप से आवेदक को स्वयं के व्यय पर कार्य किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था कनेक्शन प्राप्त करने हेतु इस आशय की आवश्यक शर्त आवेदक के सम्मुख रखा गया और उस पर आवेदक की लिखित सहमति प्राप्त की । इससे आवेदक के इस कथन की भी पुष्टि होती है कि नवीन कनेक्शन का आवेदन प्रस्तुत करने पर अनावेदक ने आवेदक को अवगत कराया था कि आवेदित स्थल पर कनेक्शन पर कनेक्शन हेतु विद्युत पोल एवं डी0पी0 स्थापित नहीं है, अतः यदि आवेदक द्वारा स्वयं अपने व्यय से विद्युत पोल एवं डी0पी0 लगवा ली जाती है तो विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा एवं केपनी को सप्लाय अफोर्डिंग की राशि का मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा और इसी के अनुसार कुल देय सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस की राशि का मात्र 10 प्रतिशत का ही मांग पत्र आवेदक को दिया जाकर भुगतान करवाया गया ।

अनावेदक की ओर से दिनांक 28.01.2020 की सुनवाई में यह भी लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है कि कनेक्शन हेतु प्रस्तावित अधोसंरचना का कार्य अपने खर्च पर करने हेतु आवेदक को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं किया गया और यह इससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने नियमों की जानकारी होने पर ही प्रस्तावित कार्य 5 प्रतिशत सुपरविजन में करने हेतु लिखित में सहमति दी थी । किन्तु सहमति पत्र या उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से ऐसा कही सिद्ध नहीं होता है कि कथित लिखित सहमति देते समय आवेदक को लागू नियमों की जानकारी थी या अनावेदक

द्वारा इन नियमों की जानकारी आवेदक को दी गई थी कि जिन कार्यों को स्वयं के व्यय पर किए जाने की सहमति उनके द्वारा दी जा रही है उन कार्यों के संपादन की व्यवस्था एवं संबंधित व्यय वहन करने का उत्तरदायित्व वास्तव में लागू नियमानुसार अनावेदक का है । न ही इस आशय का कोई उल्लेख अनावेदक द्वारा उपलब्ध कराए सहमति पत्र के प्रारूप में किया गया है । इस संबंध में फोरम की मूल नस्ती का अवलोकन करने से भी ज्ञात होता है कि आवेदक उपभोक्ता ने सुनवाई दिनांक 27.06.2019 में फोरम के समक्ष यह लिखित कथन किया था कि उन्हें इसकी जानकारी बहस के दौरान ही ज्ञात हुई है ।

अब प्रश्न उठता है कि क्या अनावेदक ऐसी किसी सहमति की आवेदक से मांग कर सकता है। इस संबंध में माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 {RG-31(1) of 2009} के Chapter IV के Part - B के (a) की कण्डिका 4.2.2 का अवलोकन किया गया जो बिन्दु (अ) की विवेचना में उद्‌द्धत की गई है ।

इस कण्डिका की उपकण्डिका 4.2.2 (a) से स्पष्ट होता है कि आवेदक को नवीन संयोजन प्रदान करने के लिए उपभोक्ता के Distribution Mains तक एल0टी0 लाईन/केबल के कार्य आवेदक के व्यय पर संपादित होंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक 11 केवी (उच्च दाब) लाईन का निर्माण एवं वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना की व्यवस्था अपने व्यय पर करेगा । उपकण्डिका 4.2.2 (b) में प्रावधान किया गया है कि नवीन संयोजन के लिए आवश्यक सर्विस लाईन की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी तथा उपभोक्ता को विकल्प उपलब्ध होगा कि आवश्यक निम्नदाब लाईन या सर्वित लाईन का कार्य वह स्वयं अपने स्तर पर अनुज्ञप्तिधारी के विनिर्देश अनुसार एक लाईसेंस प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनावेदक को आवश्यक 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान कर करवा सकता है । यहां यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भाग (ब) में वितरण मेन्स में विस्तार तया सर्विस लाईन के कार्य के संबंध में आवेदक को विकल्प प्राप्त है कि या तो वह इन कार्यों की लागत का भुगतान कर अनावेदक से यह कार्य करवाए अथवा अनावेदक को आवश्यक पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतार कर स्वयं के व्यय पर एक लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से संपादित करवाएं । किन्तु भाग (अ) में उच्चदाब (11 केवी) का निर्माण तथा वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना के कार्य के लिए अनावेदक को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है कि वह यह कार्य आवेदक से उसके व्यय पर करवा सकता है। अतः जो विकल्प विधि अनुसार अनावेदक को दिया ही नहीं गया हो ऐसे काल्पनिक विकल्प का उपयोग अनावेदक द्वारा किया जाना न केवल नियम विरूद्ध है बल्कि माननीय आयोग के उक्त रेगुलेशन में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का इच्छापूर्वक उल्लंघन है । क्योंकि माननीय

आयोग के उक्त विनियम की मूल भावना यही है कि शॉपिंग माल एवं बहुउपभोक्ता शॉपिंग काम्पलेक्स को छोड़कर अन्य व्यक्तिगत नवीन निम्नदाब संयोजनों के लिए आवश्यक उच्चदाब लाईन तथा वितरण उपकेन्द्र की स्थापना के कार्य का व्यय व इसके संपादन का दायित्व आवेदक पर भारित नहीं हो और इन कार्यों के व्यय तथा संपादन की व्यवस्था अनावेदक स्वयं करें तथा इसके लिऐ आवेदक से निर्धारित विद्युत उपलब्धता प्रभारों का भुगतान प्राप्त करें । ऐसी स्थिति में आवेदक पर इन कार्यों का वित्तीय भार डालना, चाहे वह उसकी कथित सहमति प्राप्त कर किया गया हो, किसी भी परिस्थिति एवं दृष्टि से विधि अनुरूप नहीं कहा जा सकता है । अनावेदक ने भी दिनांक 28.01.2020 की सुनवाई में मौखिक कथन कर स्वीकार किया है कि तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन कार्य करने की जिम्मेंदारी अनावेदक की ही थी तथा स्थापित विधि अनुसार आवेदक के व्यय पर उससे यह कार्य कराए जाने का कोई विकल्प अनावेदक को उपलब्ध नहीं था । इसके साथ ही पत्र क्र0 286 दिनांक 16.01.2020 के लिए गए अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में इस आशय की जानकारी दी है कि ऑडिट को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद ऑडिट ने भी आवेदक के नवीन कनेक्शन के लिए प्रस्तावित अधोसंरचना का कार्य विभागीय तौर पर अर्थात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही किए जाने की अनिवार्यता को सही माना था ।

बिन्दु (ब) की उपरोक्त विवेचना से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वर्ष 2010 में आवेदक को नवीन प्रदान किए गए निम्न दाब औद्योगिक संयोजन के लिए आवश्यक 0.16 कि0मी0 11 के0व्ही0 लाईन एवं 63 के0व्ही0ए0 वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की स्थापना के अधोसंरचना कार्य की लागत वहन करने सहित इनके संपादन की व्यवस्था का वैधानिक दायित्व केवल और केवल अनावेदक का था और किसी भी परिस्थिति में इस कार्य की लागत को आवेदक पर भारित करने का उसको कोई विधिक अधिकार लागू नियमों के अन्तर्गत प्राप्त नहीं था । अनावेदक ने लागू नियमों की स्पष्ट जानकारी आवेदक को नहीं देकर और आवेदक को भ्रम में रखकर उससे कथित लिखित सहमति प्राप्त कर इन कार्यों को आवेदक के व्यय पर आवेदक से ही संपादित करवाए जो पूर्णतः स्थापित विधि एवं लागू विनियमों के विरूद्ध होना पाया जाता है । इस आधार पर अनावेदक के उत्तरदायित्व वाले इन कार्यों के संपादन के लिए आवेदक द्वारा व्यय की गई राशि को अनावेदक से वापस दिलवाए जाने संबंधी आवेदक की मांग न्यायोचित होकर स्वीकार योग्य पाई जाती है और अनावेदक इन कार्यों के स्वीकृत प्राक्कलन की सकल राशि का भुगतान आवेदक को करने के लिए बाध्य पाया जाता है ।

10. प्रकरण में की गई विस्तृत विवेचना में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेशित है कि :–

(1) अनावेदक नवीन निम्न दाब औद्योगिक कनेक्शन के विरूद्ध 'विद्युत उपलब्धता प्रभारों' के भुगतान में आवेदक द्वारा कम जमा की गई राशि रू0 1,04,355/– का समायोजन इस कनेक्शन के अधोसंरचना कार्यों के स्वीकृत प्राक्कलन क्र0 0345 दिनांक 08.03.2010 की सकल राशि रूपए 4,14,530/– से कर आवेदक को शेष रू0 3,10,175/– का भुगतान करेंगे।

(2) अनावेदक उक्तानुसार कार्यवाही कर अपना पालन प्रतिवेदन 45 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ।

(3) उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(4) उक्त आदेश के साथ प्रकरण निर्णित होकर निराकृत होता है । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार अलग से सूचित हों। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल